# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

उनवानः– भवानी सिंह बनाम तहसीलदार सीकर
किस्मः– प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एलआर एक्ट 1957
मु.न.– 102 / वर्ष 2025

| दिनांक | आज्ञा पत्र |
|---|---|
| 24.06.2025 | तहसीलदार, सीकर ने पत्र क्रमांक–राजस्व / आवंटन / 2025 / 696 दिनांक 03.06.2024 द्वारा राजस्व ग्राम भोज्याणा पटवार हल्का बेरी, तहसील व जिला सीकर के खसरा नम्बर 3077 / 2526 तथा खसरा नम्बर 3302 / 2529 में से गुजर रहे रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने बाबत् रास्ते का प्रस्ताव भिजवाया है। रिपोर्ट में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार राजस्व ग्राम भोज्याणा पटवार हल्का बेरी, तहसील व जिला सीकर के खसरा नम्बर 3077 / 2526 तथा खसरा नम्बर 3302 / 2529 में से मौके पर रास्ता चालू हैं तथा आवागमन के काम में लिया जा रहा हैं तथा रास्ते को कटाण में करने के सम्बन्ध में समस्त खातेदारों द्वारा प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की गई है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार सीकर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता हैं तथा खसरा न. 3077 / 2526 रकबा 0.56 हैक्ट में से 0.0580 हैक्ट तथा भूमि खसरा नम्बर 3302 / 2529 रकबा 1.13 हैक्ट में से 0.080 हैक्ट वाके ग्राम भोज्याणा पटवार हल्का बेरी तहसील व जिला सीकर की भूमि को रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में ही रहेगी। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तजबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी सीकर<br>उपखण्ड अधिकारी<br>सीकर (राज.) |